

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 367 सन 2020

अनवान :-

1. अमीलाल पुत्र जैसाराम जाति सुथार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जैसाराम उर्फ जेसाराज पुत्र गणपतराम जाति सुथार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
2. चुनीराम पुत्र जेसाराम जाति सुथार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 32/27 की कुल 8.0200 हैक में से 20051/320800 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 16/13 की कुल 5.3870 हैक में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा ढण्डेला बाराणी के खाता संख्या 30/172 के खसरा न० 275 की कुल 9.6870 हैक में से 807/12916 हिस्स भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गिरधारी वल्द मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गिरधारी वल्द मामराज के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गिरधारी वल्द मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता गिरधारी वल्द मामराज के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की

उपखण्ड अधिकारी

नोहर किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 32/27 की कुल 8.0200हैक् में से 20051/320800 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 16/13 की कुल 5.3870हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 30/172 के खसरा न0 275 की कुल 9.6870हैक् में से 807/12916 हिस्स भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गिरधारी वल्द मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गिरधारी वल्द मामराज के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गिरधारी वल्द मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार कायतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 32/27 की कुल 8.0200हैक् में से 20051/320800 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 16/13 की कुल 5.3870हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 30/172 के खसरा न0 275 की कुल 9.6870हैक् में से 807/12916 हिस्स भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमावन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि गिरधारी वल्द मामराज के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गिरधारी वल्द मामराज के नाम से दर्ज है वादी के दादा गिरधारी वल्द मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के हकदार ह जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है।

वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व

परमण्ड अधिकारी रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

तोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा रवीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सन्तु एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को रवीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सन्तु एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 16/13 की कुल 5.3870हैव भूमि 1/4 हिस्सा व रोही मौजा टण्डेला के खाता संख्या 30/172 के खसरा न० 275 की 9.6870हैव में से 807/12916 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिव के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 32/27 की कुल 8.0200हैव भूमि में से 20051/320800हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जावता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकांश (विभागीय) (व्याजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाबका दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अमीलाल पुत्र जैसाराम जाति सुथार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जैसाराम उर्फ जेसराज पुत्र गणपतराम जाति सुथार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. चुनीराम पुत्र जेसाराम जाति सुथार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 367 सन 2020 निर्णय दिनांक- 16/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 16/13 की कुल 5.3870हैक भूमि 1/4 हिस्सा व रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 30/172 के खसरा न0 275 की 9.6870हैक में से 807/12916 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 14 आडब्ल्यूडी के खाता संख्या 32/27 की कुल 8.0200हैक भूमि में से 20051/320800हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)